



स्थानांतरण के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की देशरेखण्ड समिति में और समिति द्वारा तैयार किए गए पशु स्थानांतरण के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए समयबद्ध तरीके से आवश्यक कर्मक उठाएँ। यह मामला नई दिल्ली के ए. एन. झा डिपार्लमेंट के सैकंड्री हिरणों को राजस्थान के मुकुंदगढ़ हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका से शुरू हुआ था। याचिकाकर्ता (एम्.ए. पावसिंग स्पॉन्डन) ने इस कर्मक का विरोध किया था और इसके बजाय पार्क के भीतर ही जानवरों के आवास का विस्तार करने की वकालत की थी।